

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 5119 / 11-सी-FP/UP/TRANS/29629/2017, लखनऊ: दिनांक: मई 30, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/३८/२०१८/एफ०सी०/७४, दिनांक-25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में चाहीं गयी वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त, बांदा ने अपने पत्रांक-5455/33-1, दिनांक 24.05.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख की दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- / 11-सी- FP/UP/TRANS/29629/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त, बांदा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकूट, चित्रकूट।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।